फर्द अहकाम
(नियम 26)

आज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी राजस्व नोहर
जिला हनुमानगढ

प्रताप बनाम **कृष्णा**

किस्म मुकदमा ,53 ,188, आर.टी.एक्ट. नम्बर 533/20 सन–2020

तरीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिषियल जज	नम्बर व तारिख
21.07.2020	वादी की ओर से वाद पत्र जरिये अभिभाषक पेश हुआ जिस पर रिपोर्ट सीगेदार हो चुकी है। वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड सम्मन/सम्मन से तलब किया जावे पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 25.08.2020 को पेश हो।	
25/8/20	~~वकील वादी उपस्थित प्रतिवादी उपस्थित नहीं प्रतिवादी की तलबी हेतु पुनः रजिस्टर्ड सम्मन पेश कर पत्रावली दि 18/12/20 को पेश हो~~	
18/12/20	पुनश्चय प्रार्थना पत्र 01 R 10(2) CPC. का पेश किया गया शामिल पत्रावली पत्रावली दिनांक 18/12/20 को पेश।	
18/12/20	वकील वादी उपस्थित/प्रतिवादीगण उपस्थित नहीं/प्रतिवादीगण की तलबी हेतु रजि. सम्मन प्रस्तुत करे/पत्रावली दि 5.4.21 को पेश हो।	
5/4/21	~~वकील वादी उपस्थित प्रतिवादी की तलबी हेतु रजिस्टर सम्मन पेश नहीं किया अतः आवश्यक तौर से रजिस्टर सम्मन पेश कर पत्रावली दि 5/7/21 को पेश हो~~	
5/7/21	~~वकील वादी उपस्थित प्रतिवादीगण की तलबी हेतु आवश्यक तौर से रजिस्टर्ड सम्मन पेश कर पत्रावली दिनांक 14/9/21 को पेश हो~~	

पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान
वर्ष 2021 कैम्प नोहर दिनांक 06/12/21
में पेश हो।

06/12/21

...ी प्रशासन गांवों के संग अभियान

2021 कैम्प ...गोरखपुर...

...य हुई ...जीनामा पेश नहीं...

...उपस्थित नहीं

...ी दिनांक 16/03/22 को पेश की

16/3/22 वादिनी वादी उपरिभाग प्रतिवादीगण की पुत्रवधू द्वारा O/R 10 CPC के तहत प्रस्तुत बयान का कोई नहीं बिना स्वीकार बिना मान्य है तथा प्रतिवादीगण की तलबी हेतु रजिस्टर्ड सम्मन जारी नहीं किये अभिभाषक तरफ से रजिस्टर्ड सम्मन पेश कर अग्रावली दिनांक 19/7/22 को पेश हो।

19/7/22 अग्रावली पेश हुई वादिनी व वादी उपरिभाग तथा पुत्र वादी व प्रतिवादी अधिवक्ता की मौखिक बहस वादी का प्रतिवादी उपरिभाग की वाद वादी अवध परिषी अवध छात्रों से खारिज किया जाए है अग्रावली आदेश पत्रावली है।

उपखण्ड अधिकारी
गोरखपुर

Scanned with CamScanner